छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 144/2006

श्री नितिन सिंघवी, ... अपीलार्थी
एम.आई.जी. 59,
सेक्टर–1, शंकरनगर,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, ... प्रतिअपीलार्थी
मुख्य अभियंता,
राष्ट्रीय राजमार्ग एवं
सेतु निर्माण संभाग,
लोक निर्माण विभाग,
ायपुर (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::
(दिनांक 14 सितम्बर 2006)

अपीलार्थी श्री नितिन सिंघवी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के आदेश दिनांक 05–04–2006 से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की।

2/ अपीलार्थी ने अपील पत्र में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा आवेदन दिनांक 10–1–2006 के द्वारा 6 बिन्दुओं पर जानकारी चाही थी, जिसमें कि लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा लिखित नोटशीट दिनांक 9–8–2005 में पैरा क्रमांक–8 एवं आई.आर.सी. 53 के संबंध में उल्लेख किया गया था कि चूना पत्थर अधिक तापमान पर डी–कम्पोज़ हो जाता है, इस कारण सी.आर.एम.बी. का उपयोग करना उचित नहीं होगा। अपीलार्थी ने लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये गये तकनीकी परीक्षण जिसमें कि चूना पत्थर अधिक तापमान पर राख हो जाता है के संबंध में परीक्षण की प्रति एवं 60/70 ग्रेड व सी.आर.एम.बी. के उपयोग के मापदण्डों की प्रति चाही। दिनांक 14–2–2006 को मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु परिक्षेत्र के सूचना अधिकारी के द्वारा सूचित किया गया कि जानकारी प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर से संबंधित है तथा सी.आर.एम.बी. का उपयोग करने से संबंधित मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग के पत्र दिनांक 11–8–2005 की प्रति अपीलार्थी को दी गई। अपीलार्थी ने प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग को प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 5–4–2006 में उल्लेख किया कि जन सूचना

अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु निर्माण संभाग के द्वारा प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग कार्यालय में उपस्थित होकर नोटशीट तैयार की गई थी। अतः इसी आधार पर अपीलार्थी को सूचित किया गया था। अतः अपीलार्थी की अपील अपीलीय अधिकारी ने अस्वीकार की, जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

3/ आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिअपीलार्थी की ओर से श्री के.के.पिपरी, कार्यपालन अभियंता उपस्थित हुए। उन्होंने बतलाया कि अपीलार्थी को दिनांक 29–8–2006 को जानकारी उपलब्ध कराई गई है। आयोग के द्वारा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया तथा उनके तर्कों को सुना गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि सी.आर.एम.बी. का उपयोग न करने के संबंध में जिन तथ्यों का उल्लेख मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु निर्माण संभाग तथा प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के द्वारा नोटशीट में किया गया था तथा जिस पर प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के द्वारा टीप दी गई। वह बिना किसी आधार के है, उसमें उल्लेख किये गये तथ्य का कोई आधार नोटशीट में नहीं बतलाया गया है और न ही अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध ही कराया गया है। प्रतिअपीलार्थी का यह कथन है कि उसकी नोटशीट में मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं मुख्य अभियंता, योजना के द्वारा सी.आर.एम.बी. के उपयोग के संबंध में सम्मिलित रूप से टीप दी गई थी तथा टीप प्रमुख अभियंता को प्रस्तुत की गई थी। अतः इसी आधार पर अपीलार्थी को सूचित किया गया था कि जानकारी प्रमुख अभियंता कार्यालय से संबंधित है। दिनांक 30–8–2006 को अनावेदक के द्वारा जवाब दिया गया कि अपीलार्थी को दिनांक 29–8–2006 को जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। अपीलार्थी के द्वारा बतलाया गया कि जानकारी विलंब से मिली है अतः अर्थदण्ड किया जावे। अपीलार्थी ने बताया कि पूर्व जन सूचना अधिकारी श्री एस.एन.जस्ती के सेवानिवृत्त होने के पश्चात् उन्हें जानकारी दी गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री जस्ती के द्वारा जानबूझकर उसे परेशान किया गया था। अपीलार्थी ने स्वीकार किया है कि वर्तमान जन सूचना अधिकारी द्वारा अच्छी मंशा से सूचना देने का प्रयत्न किया गया है, किन्तु उनका मत है कि जन सूचना अधिकारी को यह बताना था कि नस्ती में टीप बिना किसी आधार के लिखी गई है। उल्लेखनीय है कि जन सूचना अधिकारी का अधिकार केवल जानकारी देना है, अपनी तरफ से जन सूचना अधिकारी कोई अभिमत किसी की टीप के संबंध में नहीं दे सकता। अतः अपीलार्थी का यह तर्क कि जन सूचना अधिकारी को टीप के संबंध में बिना किसी आधार के लिखी गई यह उल्लेख करना चाहिए था मान्य नहीं किया जा सकता। प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को जानबूझकर विलम्ब से जानकारी देने का प्रमाण नहीं है। कार्यालय में जो अभिलेख उपलब्ध थी वह अपीलार्थी को प्रदान किये जा चुके हैं।

4/ चूँकि अपीलार्थी दी गई जानकारी से संतुष्ट है तथा प्रकरण में आये तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझकर अथवा दुर्भावनावश जानकारी नहीं दिये जाने का प्रमाण नहीं है। प्रमुख अभियंता कार्यालय में ही टीप तैयार की गई, अतः भ्रमवश उक्त जानकारी प्रमुख अभियंता कार्यालय से ही संबंधित होना बतलाया गया। इसका उद्देश्य द्वेषवश अथवा जानकारी नहीं दिये जाने का नहीं था। चूंकि जानकारी द्वेषवश अथवा दुर्भावना से विलम्ब से दिया जाना तथ्यों के आधार पर सिद्ध नहीं होता है अतः अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

5/ उपरोक्त सभी तथ्यों पर विचार कर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त